



अति—आवश्यक

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:—एफ—7(4)प्रयेश/अकाद/आकाशी/2020/ 6

जयपुर, दिनांक :— १.१.२०२१

प्राचार्य,

समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय:—राज्य के समस्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 18 जनवरी 2021 से पुनः प्रारम्भ करने बाबत् ।

संदर्भ:—शासन सचिव, गृह (ग्रुप—9) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प033(2)गृह—9/2019 दिनांक 06 जनवरी 2021 ।

राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से दिनांक 18 जनवरी 2021 से पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया की अनिवार्यतः अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी । दिनांक 18 जनवरी 2021 से स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर—उत्तरार्द्ध की ही कक्षाएं अध्ययन हेतु प्रारम्भ होंगी ।

सभी महाविद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन एवं शेष 50 प्रतिशत उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी । निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सहित अन्य हैत्य प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाये तथा इनका संचालन केन्द्र के दिशा निर्देशों एवं एसओपी के तहत किया जाना सुनिश्चित करें ।

राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम के लिये जारी निम्न गार्ड लाईन्स की अक्षरशः अनुपालना महाविद्यालय परिसर में सुनिश्चित की जावे :—

1. महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को उनके आगमन पर थर्मल स्कीनिंग एवं सेनेटाईजेशन करना अनिवार्य होगा ।
2. महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का ध्यान रखा जावे एवं विद्यार्थी/अभिभावक/स्टाफ अनावश्यक रूप से एकत्रित न हों ।
3. अध्ययन अवधि के दौरान महाविद्यालय में एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । "No Mask No Entry" की पालना आवश्यक है एवं पीने के लिये पानी की बोतल लाना सुनिश्चित किया जावे ।
4. किसी विद्यार्थी द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर महाविद्यालय द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे ।
5. अध्ययन कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग (06 फिट की दूरी) तथा प्रत्येक मंजिल पर क्लास रूम एवं फैकल्टी रूम को प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे एवं खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे, ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे ।
6. केंटीन स्टाफ/कैंटीन कास्टर के सेनेटाईजेशन का ध्यान रखा जावे । विद्यार्थियों को सामग्री उपलब्ध कराते समय रस्टाफ द्वारा सेनेटाईज दस्तानों का प्रयोग किया जावे ।

7. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे - रेलिंग, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जायेगी ।
8. विद्यार्थियों को अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश अनुमत नहीं है ।
9. आपातकालीन स्थिति में तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जावे ।
10. अध्ययन के दौरान किसी भी विद्यार्थी/शैक्षणिक व अशैक्षणिक रस्टाफ के कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्तपाल/कोविड सेन्टर में ईलाज/आईसोलेशन हेतु रैफर/भर्ती किया जावे ।
11. महाविद्यालय में अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते समय एवं बाहर आने के समय सेनेटाईजर/साबुन/पानी से हाथ धोने को प्रोत्साहित किया जावे ।
12. महाविद्यालय में प्रतिदिन काम आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरण को सेनेटाईज किया जावे ।
13. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिवंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड कारित किया जावे ।
14. सभी फैकल्टी मैम्बर्स एवं विद्यार्थी ऐसी किसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में हैं, को छूने के उपरांत साबुन व पानी से हाथ धोएं एवं सेनेटाईजर का उपयोग करें, इस हेतु यथा स्थान पोस्टर/स्टीकर लगाये जावें ।
15. महाविद्यालय अपने विद्यार्थी एवं फैकल्टी रस्टाफ को सार्वजनिक एवं स्वायं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतू एप इंस्टाल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित करें ।
16. श्वास-प्रश्वास सम्बन्धी नियमों की शक्ति से पालना की जावे, जिसके अन्तर्गत खॉसते-छाँकते समय अपने मुँह व नाक को टिश्यू/रुमाल से ढकना न भूलें ।
17. अपने स्वारथ्य का स्वयं ध्यान रखते हुये किसी भी प्रकार की बीमारी की तुरन्त रिपोर्ट करना ।

कोविड-19 के संकरण से बचाव के लिये अनिवार्य है कि समरत महाविद्यालयों में रस्टाफ/विद्यार्थी इन दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इन शर्तों का उल्लंघन नियमानुसार दण्डनीय है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

[Signature]
(संदेश नायक)
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।
जयपुर, दिनांक :-

क्रमांक:-एफ-7(4)प्रवेश/अकाद/आकाशि/2020/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु ।

[Signature]
(सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।